न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–1 बून्दी, (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **विवेक शर्मा**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक अपील संख्या : **299/2018**

सी.आई.एस. नम्बर : **299/2018**

विमल गोयल पुत्र महादेव गोयल, निवासी–प्लॉट नं. सी–8, लंकागेट, बून्दी (राज0)

–अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी

–रेस्पोडेन्ट/परिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.09.2018 द्वारा मनीषा शर्मा,आर.जे.एस. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी बउनवान राज. राज्य बनाम विमल गोयल, नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या–522/2011, सी.आई.एस. संख्या–1934/2014

उपस्थित–
(1) श्री कमल कुमार जैन, अधिवक्ता–अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से।
(2) अपर लोक अभियोजक, रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.03.2026**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त विमल गोयल द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2018 के विरूद्ध श्रीमान् सेशन न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2018 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई थी, जो दिनांक 18.10.2021 को अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.09.2018 के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त विमल गोयल को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम–50 में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये 06 माह के कठोर कारावास एवम् दस हजार रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह हस्तगत अपील याचिका पेश की है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य निरीक्षक गिर्राज शर्मा ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक इस्तगासा अभियुक्त विमल गोयल के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त विमल गोयल बून्दी में रहकर दुकान, विमल डेयरी, लंकागेट, बून्दी पर पनीर (लो फेट) का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करता है। दिनांक 27.04.2011 को समय 11 ए.एम. पर वह बहैसियत खाद्य निरीक्षक उक्त दुकान पर निरीक्षण करने हेतु पहुंचा। दुकान पर विमल गोयल उपस्थित था, जिसने अपने आपको मालिक होना बताया। दुकान पर खाद्य पदार्थ पनीर, फ्रीज में स्थित पानी के डिब्बे में लगभग 2 किलोग्राम बिक्री हेतु उपलब्ध था, जो इन्होंने लो फेट पनीर होना बताया। खाद्य पदार्थ पनीर (लो फेट) में मिलावट व मिसब्राण्ड का सन्देह होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 6 पर खाद्य पदार्थ पनीर (लो फेट) का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुए पानी के डिब्बे में से तुलवाकर 750 ग्राम पनीर (लो फेट)साफ व सूखे स्टील के पल्लड में नमूना हेतु क्रय किया तथा अभियुक्त को मांगे अनुसार बाजार भाव से 105/– रूपये मौके पर अदा किये।

आगे यह भी कथन है कि खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर (लो फेट) को उसके द्वारा मौके पर तीन साफ एवं सुखी शीशीयों में बराबर–बराबर लिया। हर शीशी में फार्मेलीन (40%विलयन) की 20–20 बून्दे डाली। हर शीशी पर एयर टाईट कार्क लगाया व निर्धारित लेबल गोंद से चिपकाये, जिन पर अभियुक्त, गवाह व उसने हस्ताक्षर किये। हर शीशी को खाकी कागज (रैपर) में लपेटकर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया तथा हर शीशी पर एल.(एच.)ए. बून्दी डॉ. देवेन्द्र कुमार माथुर द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षरयुक्त स्लिप यू–864 उपर से नीचे होकर (Top to Bottum) गोंद से चिपकाया। हर शीशी को मोटे धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी सील किया। पैपर स्लिप को क्रॉस करते हुए अभियुक्त, गवाह व उसने हस्ताक्षर किये। मौके की कार्यवाही नियमानुसार कर मौका पंचनामा तैयार किया जिस पर अभियुक्त, गवाह व उसने हस्ताक्षर किये।

आगे यह भी कथन है कि नमूने के एक सीलबंध भाग को फार्म नं. 7 की एक प्रति के साथ एक सील्ड आउटर कवर में राधेश्याम बोयत वार्ड ब्वाय द्वारा श्रीमान् जन विश्लेषक महोदय, कोटा को वास्ते जांच जमा करवाया तथा फार्म नं. 7

की 2 प्रतियां जिन पर नमूने पर लगायी गई सील का निशान (सील इम्प्रेशन) अंकित किया गया, अलग से सील्ड आउटर कवर में राधेश्याम बोयत वार्ड ब्वाय द्वारा श्रीमान जन विश्लेषक महोदय, कोटा को जमा करायी गई। नमूने के दो सीलबंध भागो को मय फार्म नं. 7 की दो प्रतियों के एक सील्ड आउटर कवर में उसके द्वारा श्रीमान् एल.(एच.)ए. एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बून्दी को जमा कराया गया। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर (लो फेट) का नमूना श्रीमान् जन विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट एल.एस./पी.एच.एल.के./पी.एफ.ए./2011/186 दिनांक 20.05.2011 के अनुसार पी.एफ.ए. एक्ट में वर्णित स्तर के अनुरूप नहीं पाया जाकर अपमिश्रित (मिलावटी) व मिसब्राण्ड पाया गया है। परिवादी खाद्य निरीक्षक ने एल.(एच)ए. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी डॉ. देवेन्द्र कुमार माथुर को समस्त कागजात लिखित अभियोजन स्वीकृति हेतु दिनांक 09.06.2011 को प्रस्तुत किये, जिन्होंने समस्त कागजातों पर गौर फरमाकर लिखित अभियोजन स्वीकृति जरिये क्रमांक/पी.एफ.ए./2011/205 दिनांक 09.06.2011 को प्रदान कर प्रस्तुत पत्रावली मुस्तगीस को लौटाते हुए अभियुक्त विमल गोयल के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में इस्तगासा पेश करने के लिए अधिकृत करने पर इस्तगासा पेश किया गया है। विमल गोयल ने अपमिश्रित (मिलावटी) व मिसब्राण्ड पनीर (लो फेट) की बिक्री कर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 (i) व (ii) के अन्तर्गत अपराध किया है, जो उक्त एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अन्त में विमल गोयल को उचित कार्यवाही उपरान्त सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर दिनांक 16.06.2011 को अभियुक्त विमल गोयल के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया।

5. आरोप पूर्व साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–1 रामस्वरूप मीणा व पी.डब्ल्यू–2 गिर्राज शर्मा के बयान लेखबद्व करवाये गये तथा दस्तावेजात् में फार्म नं. 6 प्रदर्श पी.1, रसीद खरीद पनीर प्रदर्श पी.2, मौका पंचनामा प्रदर्श पी.3, लाईसेंस की प्रति प्रदर्श पी.4, सेम्पल जमा कराने की रसीद प्रदर्श पी.5, फार्म नं. 7 की प्रति प्रदर्श पी.6, जांच रिपोर्ट (Public Health Laboratory) प्रदर्श पी.7, डाक रसीद प्रदर्श पी.8, विमल गोयल के डी.एल. कार्ड की प्रति प्रदर्श पी.9, अधिसूचना की प्रति

प्रदर्श पी.10ए, प्रदर्श पी.11ए, राजस्थान सरकार के आदेश की प्रति प्रदर्श पी.12ए, अधिसूचना की प्रति प्रदर्श पी.13ए, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी.14, इस्तगासा प्रदर्श पी.15, रसीदें पेश करने बाबत् पत्र प्रदर्श पी.16, डाक रसीदें प्रदर्श पी.17 से पी.19 व जांच रिपोर्ट की सूचना प्रदर्श पी.20 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6. दिनांक 14.02.2017 को अभियुक्त को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

7. आरोप पश्चात् साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू–3 डॉ. देवेन्द्र कुमार माथुर, पी.डब्ल्यू–4 वेणी प्रकाश व पी.डब्ल्यू–5 राधेश्याम को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा पी.डब्ल्यू–2 गिर्राज शर्मा की जिरह लेखबद्व की गई एवम् उक्तानुसार दस्तावेजात् प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–20 को प्रदर्शित करवाकर साक्ष्य अभियोजन/परिवादी समाप्त की।

8. अपीलार्थी/अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण किया गया तो उसने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए सफाई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर तथा कथन किया कि पनीर विक्रय के लिए तैयार नहीं था, उसे विक्रय के लिए तैयार किया जा रहा था। सेम्पल प्रयोगशाला देरी से भेजा जाना बताया तथा दौराने अभियोजन साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य में जांच रिपोर्ट सेन्ट्रल फूड लेबोरेट्री प्रदर्श डी.1 को प्रदर्शित करवाया गया।

9. इसके उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी) द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा–7 सपठित धारा–16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं नियम–50 में दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर 06 माह के कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने तथा अभियुक्त द्वारा जो समयावधि पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई है उस अवधि को मूल सजा में से समायोजित किये जाने का आदेश दिया गया।

10. उक्त निर्णय एवं दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलान्ट/अभियुक्त द्वारा यह अपील निम्न तथ्यों के साथ पेश की गई है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून व वस्तु स्थिति के विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने ट्रायल, समरी ट्रायल प्रक्रिया से न करके कानूनी गलती की है व ट्रायल अवैध है, इससे अपीलांट भारी प्रिजूडाइस हुआ है। अपीलांट तत्समय उक्त पनीर को न तो विक्रय कर रहा था, न वह उक्त पनीर को किसी को भी डिलीवर या न ही डिलीवर करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए खाद्य निरीक्षक को सेम्पल लेने का अधिकार नहीं था, न है, जब तक कि धारा 10 (अ) की स्थिति नहीं हो। इस सम्बन्ध में अभियुक्त का कथन महत्वपूर्ण होता है। अभियुक्त ने अपने बयान धारा 313 द.प्र.सं. में स्पष्ट कहा है कि ''पनीर विक्रय के लिए तैयार नहीं था, उसे विक्रय के लिए तैयार किया जा रहा था।'' इस पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। प्रदर्श पी.1 पर अभियुक्त द्वारा नोट लगाया है कि ''पनीर 11 बजे फ्रीज के बाहर निकाला तथा फ्रीज के बाहर निकालने के 60 मिनट तक सही रहने की जिम्मेदारी विक्रेता की है, 60 मिनट के बाद पनीर खट्टा होना स्वाभाविक प्रक्रिया होगी'', इस पर विचारण न्यायालय ने विचार नहीं किया और न अपने निर्णय में इसका हवाला दिया। प्रकरण में स्वतन्त्र गवाह को नहीं बुलाया गया है और न रखा गया है, इसलिए सारी प्रक्रिया अवैध है। प्रस्तुत मुकदमें में अभियोजन की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि लोक विश्लेषक अथवा केन्द्रीय प्रयोगशाला की जांच के समय तक सेम्पल को फ्रीज में रखा गया हो और वह ठीक स्थिति में रहा हो।

आगे तर्क रहा है कि अपीलान्ट की ओर से सेम्पल की केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2011 को ही पेश कर दिया था, जिस पर दिनांक 07.07.2011 को अभियुक्त को खर्चा जमा कराने एवं अभियोजन को सेम्पल न्यायालय में पेश करने हेतु आदेश दिया गया था, किन्तु सेम्पल दिनांक 21.11.13 तक पेश नहीं हुआ है जबकि धारा 13 (2ए) के तहत 5 दिन में ही पेश हो जाना चाहिए था, यह आदेशात्मक है। इसके अतिरिक्त दिनांक 27.04.2011 जिस दिन सेम्पल लिया गया, उस दिन से 2 वर्ष 6 माह 24 दिन तक सेम्पल के फ्रीज में रहने की कोई साक्ष्य नहीं है और उस दिन तक सेम्पल उचित रहा हो, की भी कोई साक्ष्य नहीं है। सेम्पल न्यायालय में पेश होने पश्चात् धारा 13 (2–3) के अनुसार जांच करने के पश्चात् ''कि सेम्पल की सीले आदि'' सही व

उचित अवस्था में है, तब ही सेम्पल को केन्द्रीय प्रयोगशाला का खर्चा जमा कराने को निर्देशित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, किन्तु पंजिका पर ऐसा कोई आदेश नहीं है। खर्चा जमा कराने का आदेश दिनांक 07.07.2011 को ही दे दिया गया था जो नियमानुसार नहीं है। केन्द्रीय प्रयोगशाला में सेम्पल भेजने पर सेम्पल में खमीर उठना (fermentation process) सडना शुरू हो चुका था, इसलिए केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा जांच योग्य नहीं पाया गया। सेम्पल फ्रीज में नहीं रखने व धारा 13 (2ए) के तहत सेम्पल 5 दिन में पेश करने के कारण सडांध पैदा हुई है, इसलिए केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच नहीं हो सकी, ऐसी स्थिति में जब केन्द्रीय प्रयोगशाला की रिपोर्ट चाहे साक्ष्य में पठनीय नहीं होते हुए भी लोक विश्लेषक की रिपोर्ट पठनीय नहीं रहती है। आगे यह भी तर्क रहा है कि गवाह पी. डब्ल्यू–5 डॉ. देवेन्द्र कुमार माथुर लोकल हेल्थ अथोरिटी नहीं थे, उनके द्वारा केस चलाने की स्वीकृति जो दी गई है वह पूर्णतया अवैध है।

अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त कर अपीलान्ट/मुलजिम को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

11. दौराने बहस भी अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्यतः यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विधान के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अभियोजन साक्ष्य से अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को दण्ड़ित करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित फैसला कानून, विधि विरूद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के परे होने से निरस्तनीय है, अतएव अपीलाण्ट को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में निम्न सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्त पेश किए गए–

1. **2005 (2) R.C.C. 871 (Raj.)**
   State of Rajasthan Vs Sita Ram

It was held in this case that- " Sample sent to C.F.S.L. was not in a fit condition and because the fermentation process had started, it was giving bad smell. Therefore, result of the analysis of such a sample,

cannot be made the basis to hold someone guilty for an offence allegedly committed under the Act."

Further held that- " Under Sec.20 of the prevention of Food Adulteration Act, the sanctioning authority is required to examine the matter thoroughly and there must be satisfaction of the authority after perusal of the material and it should be clearly revealed under what provisions of Law, the offence is alleged to have been committed and there must be further satisfaction of the sanctioning authority that is was in the Public interest to accord sanction."

2. **2003 (3) R.L.W. 1834 (Raj.)**
State of Rajasthan Vs Mega

It was held in this case that- " The word 'for sale' in Sec. 7 of the Prevention of Food Adulteration Act should be read into the words 'stores' and 'distribute' appearing in the section and it is clear that storage for sale' only is prohibited and not storage simplicitor."

3. **1997 Cri. L. J. 1857**
Bal Kishan Vs State of Raj.

It has been held in this case that- " When defence plea that milk was purchased for personal use and not kept for sale and there is no evidence or record that milk was sold to any other customer, the benefit of such doubt should go to the accused and he deserves acquittal of the offence u/s 7/16 of the Act. Because in criminal trials, the accused has not to prove his innocence but simply to probalise the possibility of there being truth in his innocence which may caste a reasonable doubt in the truthful character of prosecution version and evidence adduced in support of such version."

4. 1990 R.C.C. 9 (Raj.)
Prithvi Lal Vs State of Rajasthan

It has been held in this case that- " Conviction cannot be based on report of public analyst as it is superseded by report of C.F.L. Court cannot fall back on the report of Public Analyst after receipt of report of C.F.L."

5. 2012 F.A.J. 202 (P & H)
Sukhdev Singh Vs State of Haryana

It was held in this case that- " The Sec. 13(2) of the prevention of Food Adulteration Act, envisages prompt dispatch of the sample within a period of five days from the receipt of such requisition from the court. Where sample of food article like milk which is of perishable nature is kept for such a long time of more than four months at room temperature (Particularly when sample is taken in the hot month of June), it is likely to deteriorate."

6. 1997 F.A.J. 147 (Raj.)
Dilip Singh Vs State of Rajasthan & Anr.

It has been held in this case that- " Public analyst does not fall within the categories of specified persons under sec. 291, 292 & 293 Cr.p.c. Accused has right to call Public Analyst to be examined & cross examined unless such prayer of accused in found vexacious or to cause delay or defeat ends of justice. The evidence given by such witness is a matter of mere opinion and is to be tested like that of any other witness."

7. 2009 Cr. L. R. (SC) 669
Girish Bhai Dahya Bhai Shah Vs C.C.Jani & Anr.
In this case the Report of Public analyst served on 17.7.1989 and

sample of curd was taken on 8.4.88 Appellant was prevented from applying for analysis of the 2nd sample before 17.07.1989 and by which time the sample of curd deteriorated and was not capable of being analysed, in such a circumstance S.C. held that no reason to continue with the proceedings in absence of valid and reliable report with regard to 2nd sample and quashed the complained.

8. 2014 (1) F.A.C. 198 (SC)
Rupak Kumar Vs State of Bihar & another

इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय Municipal co-operation of Delhi Vs Laxmi Narain Tandon (1976) SCC 546 के पैरा नं. 14 में प्रतिपादित सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए इस निर्णय के पैरा नं. 8 में उध्दृत किया गया है कि–" From the conjoint reading of Sec. 7,10 & 16 of the Act, It will be clear that the broad scheme of the prevention of Food Adulteration Act, is to prohibit and penalise the sale, or import, manufacture, storage or distribution for sale of any adulterated article of food. The terms 'store' and 'distribute' take their colour from the context and the collocation of words in which they occur in section 7 and16. 'storage' or 'distribution' of an adulterated article of food for a purpose other than for sale does not fall within the mischief of this section....."

12. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश को पुष्ट करने का निवेदन किया।

13. उभयपक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

14. इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए निम्न बिन्दु विचारणीय है :–

(1) **"आया विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम 50 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिये दोषसिद्ध किये जाने में कोई तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है ?"**

15. अवधार्य प्रश्न के सापेक्ष सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने से यह जाहिर है कि परिवादी गिर्राज ने बहैसियत खाद्य निरीक्षक दिनांक 27.04.2011 को सुबह 11 ए.एम. पर अपीलार्थी/अभियुक्त की विमल डेयरी की दुकान पर निरीक्षण हेतु पहुंचकर दुकान पर स्थित फ्रीज में रखे पानी के डब्बे में लगभग 2 किलोग्राम लो फेट पनीर बिक्री हेतु उपलब्ध था।

इस सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि प्रथमतः तो जिस पनीर में से सैम्पल लेना बताया गया है, वह अपीलार्थी द्वारा घर के लिए तैयार किया जा रहा था एवम् वह विक्रय के लिए नहीं था, द्वितीयतः जिस पनीर में से सेम्पल लिया जा रहा था, वह उपयोग/विक्रय के लिए तैयार भी नहीं था एवम् अपीलार्थी द्वारा फार्म नं. VI प्रदर्श पी.1 में यह अंकन भी किया था कि पनीर 11 बजे फ्रीज से बाहर निकाला गया तथा फ्रीज से निकालने के उपरान्त 60 मिनट तक ही पनीर सही रहने की जिम्मेदारी रहती है, 60 मिनट के बाद पनीर खट्टा होना स्वाभाविक प्रक्रिया होगी।

इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्तों State of Rajasthan Vs Mega 2003(3) R.L.W. 1834 (Raj.) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि– " The word 'for sale' in Sec. 7 of the Prevention of Food Adulteration Act should be read into the words 'stores' and 'distribute' appearing in the section and it is clear that storage for sale' only is prohibited and not storage simplicitor."

Bal Kishan Vs State of Raj. 1997 Cri. L.J. 1857 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि– " When defence plea that milk was purchased for personal use and not kept for sale and there is no evidence or record that milk was sold to any other customer,

the benefit of such doubt should go to the accused and he deserves acquittal of the offence u/s 7/16 of the Act. Because in criminal trials, the accused has not to prove his innocence but simply to probalise the possibility of there being truth in his innocence which may caste a reasonable doubt in the truthful character of prosecution version and evidence adduced in support of such version."

Rupak Kumar Vs State of Bihar & another 2014 (1) F.A.C. 198 (SC) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है कि– " From the conjoint reading of Sec. 7,10 & 16 of the Act, It will be clear that the broad scheme of the prevention of Food Adulteration Act, is to prohibit and penalise the sale, or import, manufacture, storage or distribution for sale of any adulterated article of food. The terms 'store' and 'distribute' take their colour from the context and the collocation of words in which they occur in section 7 and16. 'storage' or 'distribution' of an adulterated article of food for a purpose other than for sale does not fall within the mischief of this section....."

इस सम्बन्ध में परिवादी पी.डब्ल्यू–2 गिर्राज का जिरह में भी स्पष्ट कथन रहा है कि उसने विमल गोयल को पनीर बेचते नहीं देखा तथा बरवक्त लिए जाने नमूना भी दुकान पर कोई खरीददार/ग्राहक नहीं होना स्वीकार किया है। परिवादी गिर्राज के साथ बरवक्त लिए जाने नमूना मौके पर मौजूद रहे साक्षी पी. डब्ल्यू–1 रामस्वरूप ने भी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि तत्समय पनीर खरीदते हुए किसी ग्राहक को नहीं देखा था एवम् यह भी स्वीकार किया है कि पनीर को दूध फाडकर बनाया जाता है, परन्तु वहां कोई भट्टी नहीं देखना स्पष्ट कथन किया है। इसके अतिरिक्त परिवादी सहित इस साक्षी ने आस–पास दुकानें होना भी बताया है एवम् परिवादी ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि वहां काफी लोग आते–जाते रहते है, परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य विद्यमान नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष स्वाभाविक हो कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा कथित पनीर को विक्रय हेतु फ्रीज में रखा गया हो एवम् बरवक्त लिए जाने नमूना उपयोग/विक्रय के लिए तैयार हो, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त न्याय निर्णयों में

प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में अभियोजन/परिवादी पक्ष युक्तियुक्त सन्देह से परे यह तथ्य स्थापित करने में विफल रहा है कि कथित पनीर 'विक्रय के लिए संग्रहित' किया गया हो।

16. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से सेम्पल की केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच करवाए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.06.2011 को ही पेश कर दिया गया था, जिस पर दिनांक 07.07.2011 को अभियुक्त को खर्चा जमा कराने का एवम् एल.एच.ए. से सैम्पल 07.07.2011 को ही तलब करने हेतु आदेश दिया गया था, किन्तु सैम्पल दिनांक 21.11.2013 तक पेश नहीं हुआ, जबकि धारा 13(2) के तहत पांच दिन में ही सैम्पल पेश हो जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सैम्पल लिये जाने की दिनांक 27.04.2011 से दिनांक 21.11.2013 तक अर्थात 2 वर्ष 6 माह 24 दिन तक सैम्पल फ्रीज में या अन्यथा सुरक्षित रहने की भी साक्ष्य नहीं है। आगे तर्क रहा है कि धारा 13 (2–3) के अनुसार सैम्पल का न्यायालय में पेश होने पर सैम्पल की सीलें आदि सही व उचित अवस्था में होने की जांच करने के उपरान्त ही सैम्पल की जांच सी.एफ.एल. से कराने हेतु खर्चा जमा कराने को निर्देशित किया जा सकता है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश या रिपोर्ट नहीं है। आगे तर्क रहा है कि सैम्पल फ्रीज में नहीं रखने या अन्यथा सुरक्षित नहीं रखने तथा सैम्पल अयुक्तियुक्त विलम्ब से पेश किए जाने एवम् जांच हेतु भेजने से पूर्व सैम्पल की सीलें वगैरह की जांच भी नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप सी.एफ.एल. में सैम्पल को जांच हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया, ऐसी दशा में बिना अपीलार्थी/अभियुक्त की लापरवाही के सी.एफ.एल. से सैम्पल की जांच नहीं हो पाने से जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट मात्र के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित मानना कतई न्यायोचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा Sukhdev Singh Vs State of Haryana 2012 F.A.J. 202 (P&H) में अभिनिर्धारित किया गया है कि–" The Sec. 13(2) of the prevention of Food Adulteration Act, envisages prompt dispatch of the sample within a period of five days from the receipt of such requisition from the court. Where sample of food

article like milk which is of perishable nature is kept for such a long time of more than four months at room temperature (Particularly when sample is taken in the hot month of June), it is likely to deteriorate."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी Girish Bhai Dahya Bhai Shah Vs C.C.Jani & Anr. 2009 Cr.L.R. (SC) 669 में अभिनिर्धारित किया गया है कि–" Report of Public analyst served on 17.7.1989 and sample of curd was taken on 8.4.88 Appellant was prevented from applying for analysis of the 2nd sample before 17.07.1989 and by which time the sample of curd deteriorated and was not capable of being analysed, in such a circumstance S.C. held that no reason to continue with the proceedings in absence of valid and reliable report with regard to 2nd sample and quashed the complained."

State of Rajasthan Vs Sita Ram 2005 (2) R.C.C. 871 (Raj.) में माननीय राजस्थान उच्च न्ययालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है कि– " Sample sent to C.F.S.L. was not in a fit condition and because the fermentation process had started, it was giving bad smell. Therefore, result of the analysis of such a sample, cannot be made the basis to hold someone guilty for an offence allegedly committed under the Act."

इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.07.2011 को ही अभियुक्त द्वारा द्वितीय सैम्पल को सी.एफ.एल. जांच हेतु भेजने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र दिनांकित 27.06.2011 पर सुना जाकर अभियुक्त को Pay and Account officer Director General of health services के नाम 1000/–रूपये का डी.डी. जमा कराने हेतु निर्देशित किया जाकर दिनांक 07.07.2011 को ही एच.एल.ए. बून्दी से सैम्पल तलब कर व नियमानुसार पैक कर जांच हेतु सी.एफ.एल. पूणे प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया था एवम् उक्त आदेशिका दिनांक 07.07.2011 की आदेशिका पर खाद्य निरीक्षक, बून्दी के हस्ताक्षर भी मौजूद है, जिससे उक्त आदेश की विभाग को तत्काल सूचना होना भी स्पष्ट है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.07.2011 को उक्तानुसार Pay and Account officer

Director General of health services के पक्ष में 1000/– रूपये की जारी डी.डी. की प्रति पत्रावली से संलग्न है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर नहीं है कि सैम्पल कब पेश किया गया, हालांकि आदेशिका दिनांक 02.08.2011, दिनांक 21.10.2011, दिनांक 11.02.2012, दिनांक 03.04.2012, दिनांक 13.06.2012, दिनांक 17.09.2012, दिनांक 07.11.2012 व दिनांक 21.01.2013 के माध्यम से न्यायालय द्वारा सैम्पल निरन्तर तलब किया जा रहा है, जिससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 21.01.2013 तक सैम्पल जांच हेतु (बावजूद आदेश दिनांक 07.07.2011) न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है एवम् तत्पश्चात् भी सैम्पल कब पेश हुआ, पत्रावली की शेष आदेशिकाओं में कोई अंकन नहीं है, हालांकि अदेशिका दिनांक 17.01.2015 में सैम्पल सी.एफ.एल. जांच हेतु भेजे जाने का अवश्य अंकन है परन्तु सैम्पल की सीलें इत्यादि सही व उचित अवस्था में होकर नियमानुसार सैम्पल पेश कर सी.एफ.एल. भेजे जाने का भी कोई अंकन नहीं है।

इसके अतिरिक्त आदेशिका दिनांक 12.03.2013 के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि दिनांक 11.07.2011 को ही उनके द्वारा डी.डी. नं. 387040 दिनांक 09.07.2011 एस.बी.बी.जे. बून्दी का पेश किया जा चुका है, जिस पर फौजदारी लिपिक को डी.डी. तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु आगामी तारीख पेशियों दिनांक 27.05.2013, दिनांक 18.07.2013, दिनांक 11.09.2013 तथा दिनांक 13.11.2013 तक फौजदारी लिपिक द्वारा (निरन्तर आदेशित होने के बावजूद) ऐसे किसी डी.डी. को तलाश करने बाबत् कोई तथ्य प्रकट नहीं किया जाना स्पष्ट है जबकि पूर्व विश्लेषणानुसार दिनांक 09.07.2011 को जारी उक्त डी. डी. नं. की फोटोप्रति पत्रावली से संलग्न है। अन्यथा भी यदि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्तानुसार दिनांक 09.07.2011 को डी.डी. प्रस्तुत नहीं की गई होती तो सैम्पल पेश नहीं होने के साथ, डी.डी. पेश नहीं होने सम्बन्धी तथ्य का भी पूर्वानुसार आदेशिकाओं दिनांक 02.08.2011, दिनांक 21.10.2011, दिनांक 11.02. 2012, दिनांक 03.04.2012, दिनांक 13.06.2012, दिनांक 17.09.2012, दिनांक 07.11. 2012 व दिनांक 21.01.2013 में अवश्य उल्लेख किया गया होता, ऐसी स्थिति में फौजदारी लिपिक द्वारा दिनांक 25.11.2013 को डी.डी. पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने बाबत् रिपोर्ट करने मात्र से यह निष्कर्ष न्यायोचित नहीं है कि अभियुक्त/

अपीलार्थी द्वारा पूर्व में डी.डी. पेश नहीं की गई हो।

अन्यथा भी यदि डी.डी. पेश करने सम्बन्धी उक्त तथ्य को अनदेखा भी कर दिया जावे तो भी परिवादी पक्ष/अभियोजन पक्ष द्वारा उक्तानुसार अयुक्तियुक्त विलम्ब से सैम्पल पेश किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे धारा 13 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ सी.एफ.एल. द्वारा जांच हेतु प्रेषित सैम्पल का जांच योग्य नहीं पाए जाने का निष्कर्ष दिए जाने से अभियुक्त/अपीलार्थी के महत्वपूर्ण अधिकार का हनन हुआ है तथा उपर्युक्त परिस्थितियों में सी.एफ.एल. से उचित समय पर जांच नहीं होने में अभियुक्त/अपीलार्थी की उपेक्षा नहीं होने का निष्कर्ष न्यायोचित है। ऐसी दशा में उपर्युक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में जबकि परिवादी/अभियोजन की उपेक्षा के कारण समय पर सैम्पल सी.एफ.एल. जांच हेतु नहीं भेजने के परिणामस्वरूप जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट मात्र के आधार पर अभियुक्त की प्रश्नगत आरोप में लिप्तता युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित माना जाना कतई न्यायोचित नहीं कही जा सकती, वह भी उस दशा में जबकि परिवादी गिर्राज ने जिरह में इस तथ्य की जानकारी से भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि पनीर में फार्मेलिन डाले जाने पर वह कितने समय तक जांच के लिए उपयुक्त रहता है तथा सी.एम.एच.ओ. पी.डब्ल्यू–3 डॉ. देवेन्द्र कुमार माथुर ने तो जिरह में इस तथ्य से भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि लो–फैट पनीर क्या होता है व उसमें पनीर की मात्रा कितनी होती है तथा इस साक्षी ने इस तथ्य से भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि फार्मेलिन की स्ट्रैंथ कितने दिनों तक रहती है, ऐसी दशा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा Dilip Singh Vs State of Rajasthan & Anr. 1997 F.A.J. 147 (Raj.) में प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार 'जन विश्लेषक' की साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है, परन्तु उसे साक्ष्य सूची में सम्मिलित कर परीक्षित नहीं करवाया गया एवम् न ही उक्त लोप का कोई कारण बताया गया, ऐसी दशा में भी अपीलार्थी/अभियुक्त के सारपूर्ण अधिकार का हनन हुआ है।

17. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित दोषसिद्धि का

निर्णय दिनांक 10.09.2018 तथ्यात्मक एवं कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य में आये तात्विक एवं सारवान विरोधाभासों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त विमल गोयल को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम–50 के तहत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध कर दण्डित किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से विचार करने पर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी/अभियुक्त की हस्तगत अपील स्वीकार किये जाने योग्य हो जाती है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त विमल गोयल धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम–50 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य हो जाता है।

:: आदेश ::

18. अतः अपीलार्थी/अभियुक्त विमल गोयल की ओर से प्रस्तुत यह दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 522/2011, सी.आई.एस. सं. 1934/2014 राजस्थान राज्य बनाम विमल गोयल में पारित आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 10.09.2018 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त विमल गोयल को धारा 7 सपठित धारा 16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवम् नियम–50 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

19. इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

(विवेक शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1,
बून्दी (राजस्थान)

20. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–1,
बून्दी (राजस्थान)